भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:2281

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाएं

†2281. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की बढ़ती घटनाओं पर कोई संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में एकत्र किए गए खाद्य नमूनों, मानकों के अनुरूप न पाए गए नमूनों तथा की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों में मिलावट के दोषी पाए गए निर्माताओं, व्यापारियों तथा विक्रेताओं के विरुद्ध शुरू किए गए अभियोजनों, निलंबित अथवा निरस्त किए गए अनुज्ञापत्रों तथा अधिरोपित शास्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र, विशेषकर उसके जनजातीय एवं दूरस्थ जिलों में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, मोबाइल खाद्य परीक्षण इकाइयों तथा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता प्रदान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र में त्योहारों के दौरान तथा ग्रामीण बाजारों में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध कोई विशेष जन-जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) उक्त राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए डिजिटल रूप से पता लगाने, त्वरित खाद्य परीक्षण तथा उपभोक्ता जागरूकता को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए वैज्ञानिक आधार पर मानक अवधारित करना तथा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात का विनियमन

करने का अधिदेश है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र तथा राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी गैर-मानक खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के विरुद्ध की गई प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई का विवरण संलग्न है **अनुलग्नक-I.** पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में लाइसेंस रद्द और निरस्त करने की संख्या का विवरण **अनुलग्नक- II** के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में प्रयोगशाला परीक्षण, निगरानी और उपभोक्ता जागरूकता को सुदृढ़ करने के लिए एफएसएसएआई ने देश भर में निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- परीक्षण के माध्यम से खाद्य पदार्थों और खाद्य उत्पादों की सुरक्षा के लिए एफएसएसएआई ने खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए 259 राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से अपीलीय नमूनों के परीक्षण के लिए 24 रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है। इनमें से एफएसएसआई द्वारा अधिसूचित 39 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, जिनमें 05 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, 02 अन्य सरकारी प्रयोगशालाएं और 32 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। ये प्रयोगशालाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विभिन्न सरकारी संस्थानों/विभागों तथा निजी संस्थाओं से संबंधित हैं। एफएसएसएआई राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की खाद्य परीक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- एफएसएसएआई ने "मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था (एसओएफटीईएल) सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने" की योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की है। एसओएफटीईएल पहल के तहत मुंबई और छत्रपति संभाजीनगर स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की प्रयोगशालाओं को 19.21 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

- प्रयोगशालाओं की क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 से अब तक एफएसएसएआई द्वारा अपनी अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 222 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 3,937 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

- मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एमएफटीएल) अथवा "फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू)" के माध्यम से विशेष रूप से गांवों, कस्बों एवं दुर्गम क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण, प्रशिक्षण तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक संचालन किया जाता है। वर्तमान में, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 305 एफएसडब्ल्यू संचालित हैं। महाराष्ट्र राज्य में 02 एमएफटीएल स्थित है।

- "मैजिक बॉक्स" एक कॉम्पैक्ट एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल किट है, जिसमें सात प्रकार की खाद्य वस्तुओं में सामान्य मिलावट की पहचान के लिए सरल एवं त्वरित परीक्षण विधियां उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से दूध, मसाले, खाद्य तेल और अनाज जैसी दैनिक उपभोग की खाद्य वस्तुओं में मिलावट की पहचान की जा सकती है।

- डिटेक्ट एडल्टरेशन विद रैपिड टेस्ट (डीएआरटी) पुस्तिका में 44 ऐसे परीक्षण शामिल हैं जिन्हें पानी तथा आयोडीन टिंचर जैसे सरल घोलों की सहायता से घरेलू स्तर पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद, तेल एवं वसा, चीनी एवं कन्फेक्शनरी, खाद्यान्न एवं उनसे बने उत्पाद, मसाले एवं मसाला उत्पाद आदि की जांच आसानी से किया जा सकता है। इन परीक्षणों में खाद्य पदार्थों की प्रामाणिकता स्थापित करने हेतु संवेदी आंकलन परीक्षण भी सम्मिलित हैं। डीएआरटी पुस्तिका में शुद्ध एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के बीच अंतर को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है।

- रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग (आरएपीआईडी) किट उन्नत, उपयोग में सरल, पोर्टेबल तथा हैंडहेल्ड उपकरण हैं, जिनके माध्यम से परीक्षण के लिए किसी परिष्कृत उपकरण अथवा पारंपरिक अभिकर्मकों की आवश्यकता नहीं होती। अब तक, 88 आरएएफटी किट अनुमोदित की जा चुकी हैं। इनसे फील्ड स्तर पर खाद्य उत्पादों की जांच में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलती है, जिससे निगरानी एवं चौकसी गतिविधियों में तेजी आती है।

- एफएसएसएआई राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के माध्यम से "ईट राइट इंडिया" नामक राष्ट्रव्यापी अभियान संचालित कर रहा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन के माध्यम से निवारक एवं स्वास्थ्य संवर्धन आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। उपभोक्ता जागरूकता के प्रसार हेतु राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ईट राइट इंडिया पहल के तहत महाराष्ट्र को कुल 2,044 प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं।

- एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक करने तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान करने के तरीकों की जानकारी देने के लिए "#नो टू एडल्ट्रेशन" सहित विभिन्न जागरूकता अभियान प्रारंभ किए हैं। इन पहलों में विज्ञापन, शैक्षिक सामग्री तथा ऑनलाइन मंच शामिल हैं जिनसे व्यापक जन-जागरूकता फैलाई जाती है।

- एफएसएसएआई ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर **"हाओ टू चेक फॉर एडल्ट्रेशन"** शीर्षक से वीडियो श्रृंखला जारी की है, जिसमें दूध एवं दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल आदि सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान करने की छोटे-छोटे वीडियो का प्रदर्शन किया गया है। ये सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है तथा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं अभियानों में प्रदर्शित की जाती है।

- एफएसएसएआई "#हर लेबल कुछ कहता है" नामक जागरूकता अभियान भी चला रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों में लेबल साक्षरता को बढ़ावा देकर स्वस्थ खान-पान तथा सूचित उपभोक्ता निर्णय को प्रोत्साहित करना है। इस पहल के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी (कैलोरी, वसा, शर्करा, प्रोटीन), अवयवों की सूची, एलर्जी संबंधी चेतावनी तथा उत्पाद पर अंकित तिथियों जैसे महत्वपूर्ण लेबल संबंधी विवरणों के बारे में जागरूक किया जाता है।

अनुलग्नक-I

*आंकडे अनंतिम है।

महाराष्ट्र में सभी गैर-मानक खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के विरूद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण					
क्र.सं.	वर्ष	विश्लेषित किए गए नमूनों की संख्या	गैर मानक पाए गए नमूनों की संख्या	दीवानी मामले	आपराधिक मामले
				शास्ति के साथ निर्णीत	दोषसिद्धि की संख्या
1	2025-26*	7,694	1,335	2,445	8
2	2024-25	5403	1250	1,147	0
3	2023-24	5087	1174	154	0

अनुलग्नक-II

* आंकडे अनंतिम है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में निलंबन/रद्द किए गए लाइसेंस की संख्या		
वित्तीय वर्ष	**कुल निलंबित**	**कुल रद्द किए गए**
2025-26*	79	13
2024-25	63	19
2023-24	34	39
कुल	**176**	**71**
